तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

वाद पत्र सं. : 23/2025

जीसीएमएस नं. : 2025/45

सत्या रानी पुत्र लोकूराम पत्नी राजेश मेहंदीरत्ता जाति अरोड़ा निवासी हाल एस.सी. 156 शास्त्रीनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 आरटीएक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता वादी
2. राजपैरोकार

14.05.2025

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी निवेदन किया कि वादीया के नाम से चक 13 बीएलएम ए मु.नं. 63 प.नं. 200/424 कि.नं. 1 ता 13, 19,20,21 व मु.नं. 64 प.नं. 201/425 कि.नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7ता13, 20 कुल 5.313है. भूमि खाता सं. 87 में दर्ज है। वादीया का सही नाम सत्या रानी है, पहचान संबंधि बने दस्तावेजों में नाम सत्या रानी पत्नी राजेश मेहंदीरत्ता अंकित है, राजस्व रिकार्ड में नाम सत्या देवी अंकित कर दिया है। जिसकी दूरूस्ती कर सत्या देवी पुत्री लोकूराम के स्थान पर सत्या रानी पुत्री लोकूराम पत्नी राजेश मेहंदीरत्ता अंकित करने के आदेश पारित करने के अनुतोष चाहा है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/1506 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी अधिवक्ता प्रकरण में बहस हेतु निवेदन किया। प्रकरण मात्र रिकार्ड दुरूस्ती का है न कि खातेदारी अथवा अन्य किसी प्रकार की घोषणा का ऐसी स्थिति में धारा 88 राज.काश्त. अधि. के तहत विचारण का औचित्य नहीं है। बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी वाद के तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम की दुरूस्ती कर सत्या रानी अंकित करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के अनुसार उक्त रकबा प्रार्थीया के नाम जरिये वसीयत ई.सं. 170 चक 13 बीएलएम ए प.नं. 200/424 मु.नं. 63 में 3.162है. दर्ज हुआ है तथा प.नं. 201/425 का 2.151है. रकबा प्रार्थीया के नाम जरिये दान पत्र ई.सं. 262 के द्वारा दर्ज हुआ है। ईन्तकाल में प्रार्थीया का नाम सत्या देवी दर्ज हुआ। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्जावेज छायाप्रति वसीयतनामा लोकूराम दिनांक 10.09.1985 में नाम सत्या बाई कुब्बा [illegible] अंकित है। दान पत्र कमला देवी बहक सत्या दे[illegible] दिनांक 17.05.2012 में भी नाम सत्या देवी दर्ज हुआ तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा रिपोर्ट के साथ इन्तकाल की प्रतियां प्रस्तुत की [illegible] का अवलोकन किया। उक्त वसीयत एवं दान पत्र आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम सत्या देवी दर्ज हुआ है लेकिन वसीयत में नाम [illegible]या देवी दर्ज नहीं था। वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों में नाम सत्या रानी अंकित है।

हांलाकि राजस्व रिकार्ड में दान पत्र के आधार पर नाम दर्ज करते समय किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई हैं लेकिन न्यायहित में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती की जानी न्यायालय की राय में उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:54 IST
Reason: SelfAttested

...रीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. प्र.सं. 23/2025 जीसीएमएस नं. 2025/45 सत्या रानी बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
	लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 13 बीएमएम ए खाता सं. 87 में दर्ज मु.नं. 63 व 64 की कुल 5.313है. कमाण्ड मय खाला भूमि के काश्तकार के नाम सत्या देवी पुत्री लोकूराम के स्थान पर सत्या रानी पुत्री लोकूराम पत्नी राजेश मेहंदीरत्ता को दुरूस्त कर दर्ज किया जावे। शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। **निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।** शकुन्तला **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:36:54 IST Reason: SelfAttested	